नीतीश मिश्रा
पूर्व मंत्री
बिहार सरकार

सदस्य
बिहार विधान सभा

Ref: 269/2021
Dt-9-8-2021

आदरणीय मंत्री महोदय,

विषयः—**BSTET 2019 परीक्षा परिणाम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित न्यूनतम उतीर्ण अंक लागू कराने के संबंध में।**

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **(EWS)** के अभ्यर्थियों ने परीक्षा परिणाम पर अपनी वेदना से अवगत कराया है।

उनके कथनानुसार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के परीक्षा परिणाम में **EWS** वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं किया गया है। अधिसूचना के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का न्यूनतम उतीर्ण अंक 45 प्रतिशत रखा गया है जबकि **EWS** वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग **(UR)** के अभ्यर्थियों के न्यूनतम उतीर्ण अंक 50 प्रतिशत के साथ रखा गया है जो न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

भारत सरकार द्वारा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि **EWS** को अन्य आरक्षित वर्ग के समान रियायत प्रदान की जायेगी, जिसका मूलाधार आर्थिक पिछड़ापन है।

उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा सेवा परीक्षा में न्यूनतम अर्हत्ता अंक में सामान्य वर्ग **(UR)** को 45 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **(EWS)** को आरक्षण की श्रेणी में रखते हुये 40 प्रतिशत का अंक रखा गया है।

राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् **(NCTE)** द्वारा जारी निदेश के अनुसार सामान्य वर्ग **(UR)** को 60 प्रतिशत अन्य आरक्षित वर्ग जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **(EWS)** शामिल है, उन्हें 55 प्रतिशत न्यूनतम उतीर्णांक दिया गया है।

112, कौटिल्य नगर, पटना 800014
Tel. : 0612 222 6263 Fax : 0612 222 5218 E-mail : nitishmishraoffice@gmail.com
/NitishMishraOfficial @mishranitish www.jhanjharpur.co.in

अतः अनुरोध है कि **BSTET 2019** परीक्षा परिणाम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **(EWS)** के अभ्यर्थियों को आरक्षित न्यूनतम उतीर्णांक का लाभ देने हेतु न्यायसंगत विचार करना चाहेंगे।

सादर,

भवदीय

Nitish Mishra 9.8.21

(नीतीश मिश्रा)

संलग्न–उत्तराखंड एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र की छायाप्रति।

सेवा में,

श्री विजय कुमार चौधरी जी,
माननीय मंत्री,
शिक्षा विभाग,
बिहार सरकार, पटना।